पत्रांक-1/पी0एम0सी0/629/2003- 534

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

प्रेषक : ई0 सुमीर कुमार चटर्जी
संयुक्त सचिव(अभियंत्रण) ।

सेवा में,

सभी मुख्य अभियंता
जल संसाधन विभाग,
बिहार ।

पटना, दिनांक- 13/06 /2013.

विषय : बाढ़ सुरक्षात्मक/बाढ़ संघर्षात्मक कार्य के लिए समय वृद्धि के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि समय वृद्धि की स्वीकृति के मामले मुख्यालय में प्राप्त होते हैं, जिनमें प्राय: समय वृद्धि के औचित्य हेतु इन्जीनियर इन्चार्ज अथवा सक्षम प्राधिकार का लिखित आदेश संलग्न नहीं रहता है, जिसके अभाव में यह स्थापित नहीं हो पाता है कि निर्धारित अवधि पर कार्य पूरा क्यों नहीं हुआ एवं निर्धारित समय के उपरान्त कार्य जारी रखने का आदेश किस स्तर के पदाधिकारी द्वारा प्रदान किया गया ।

अतएव भविष्य में समय वृद्धि हेतु मुख्यालय में समर्पित किये जाने वाले सभी प्रस्ताव में इस आशय का प्रमाण-पत्र संलग्न किया जाय कि निर्धारित अवधि बीतने के पश्चात् इन्जीनियर इन्चार्ज अथवा किस सक्षम पदाधिकारी के द्वारा संवेदक को कार्य जारी रखने का आदेश दिया गया है, साथ ही समय वृद्धि का पूर्ण औचित्य का स्पष्ट उल्लेख किया जाय ।

उपरोक्त निदेश का अनुपालन दृढ़तापूर्वक सुनिश्चित किया जाए तथा अपने स्तर से अधीनस्थ पदाधिकारियों को इस दिशा में आवश्यक कार्रवाई हेतु संसूचित किया जाए।

विश्वासभाजन,

13/6/2013

(सुमीर कुमार चटर्जी)
संयुक्त सचिव(अभियंत्रण) ।